उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-23/2018/848/30-3-18-03बी/2018

लखनऊ, दिनॉक 14 मार्च, 2018

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में 20 बुलेरो वाहन प्रदूषण जांच सहित किराये पर लिये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-17/2018/567/30-3-18-03बी/2018 दिनांक 09-03-2018 निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(5) की पहली पंक्ति में पूंजीगत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5055 के स्थान पर त्रुटिवश राजस्व मद के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055 अंकित हो गया है।

अत: शासनादेश दिनांक 09-03-2018 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(5) की पहली पंक्ति में अंकित राजस्व मद के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055 के स्थान पर पूंजीगत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5055 पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 09-03.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह0/-

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

संख्या-23 /2018/848(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
2- **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
3- **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
4- **वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।**
5- **वित्त (लेखा) अनुभाग-1**
6- **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9**
7- **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।**
8- **गार्ड फाइल।**

ह0/-

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in